जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

Ref. No.- BRLPS/Proj/497/14/4756

Date: 02-03-2017

कार्यालय आदेश

(बैंकों के द्वारा वित्त संपोषित समूहों को ऋण की राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में)

विदित है कि जीविका परियोजना के द्वारा वृहद पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय संपोषण सुनिश्चित करवाया गया है। स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध करवाये गये वित्त संपोषण का मुख्य उद्देश्य समूहों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना है ताकि सदस्यों की विभिन्न आजीविका संबंधी जरूरतों को पूरी की जा सके। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक लगभग 1.25 लाख समूहों का वित्तीय सम्पोषण किया गया है। यह संज्ञान में आया है कि कतिपय कारणों से समूहों को ऋण भुगतान की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। **ऐसी परिस्थिति में यह अति महत्वपूर्ण है कि विशेष रणनीति बनाकर समूहों को Disbursement करवाना सुनिश्चित किया जाए।**

जीविका परियोजना द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी जिला परियोजना प्रबंधक निम्नलिखत रणनीति पर कार्य करेंगे एवं ऋण राशि का भौतिक भुगतान (Physical Disbursement) तय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करेंगे। परियोजना द्वारा निर्धारित रणनीति निम्नलिखित है:

क- जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा कार्यालय आदेश प्राप्त करने के 2 दिनों के अंतर्गत प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड के वित्तीय समावेशन नोडल व्यक्ति के साथ बैठक सुनिश्चित किया जाएगा। **यह जरूरी है कि उस बैठक की कार्यवाही बिन्दु (Minutes of the Meeting) SPMU में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को भेजा जाए। साथ ही संबंधित कार्यवाही की प्रति PC-FI को भी प्रेषित की जाएगी।** संबंधित बैठक में समूहों को उपलब्ध कराये गये ऋण की राशि का भुगतान करवाने की रणनीति पर चर्चा होगी।

ख- यह अपेक्षित है कि जिला स्तर पर की गयी बैठक के 2 दिनों के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर बैठक आयोजित हो एवं यह निदेश सभी कर्मियों एवं Community Mobilizers को दिया जाए कि ऋण वितरण सुनिश्चित करवाना समूहों के सफल क्रियान्वयन के लिए अति महत्वपूर्ण है। **आजीविका के संसाधन बढ़ाने के संदर्भ में ऋण वितरण की महत्ता को**

रेखांकित करते हुए विशेष क्रियान्वयन रणनीति पर कार्य करने हेतु निदेशित करने की जरूरत है।

ग- सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक प्रखंडों में अवस्थित **विभिन्न बैंक की शाखाओं से विचार विमर्श करके कम से कम 5 समूहों को प्रत्येक शाखा में प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करेंगे**। इस हेतु शाखाओं की सहमति लें तथा पत्र द्वारा सूचित करे कि प्रत्येक दिन कम से कम 5 समूह बैंक की शाखा में जरूर जाएँगे। जहाँ भी सम्भव है वहाँ 5 से अधिक समूहों को भी बैंक की शाखाओं में भेजना अति महत्वपूर्ण है। प्रखंड परियोजना प्रबंधक सहमति के आधार पर 10 या उससे भी अधिक समूहों को भी प्रत्येक दिन बैंक की शाखा में भेजने की रणनीति पर कार्य सुनिश्चित करेंगें।

घ- यह स्पष्ट करना उचित होगा कि राज्य स्तर पर ऋण वितरण की रणनीति को अति महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा माना गया है। अत: इस रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक की होगी। **पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोताही संबंधित प्रबंधक पर कार्रवाई का कारण बन सकती है।**

ङ- यह निर्णय लिया गया है कि राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर "Disbursement Help Desk/Cell" का गठन किया जाएगा। संबंधित Help Desk का गठन जिला एवं प्रखंड स्तर पर उनकी निर्धारित बैठक में ही करना सुनिश्चित करें। "Disbursement Help Desk/Cell" का उद्देश्य प्रत्येक दिन में हुए Disbursement का लेखा जोखा रखने तथा BPM/DPM को इसकी सूचना के लिए है ताकि पूरी प्रक्रिया में बेहतरी लाई जा सके तथा ऋण भुगतान को गति दी जा सके।

च- "Disbursement Help Desk/Cell" की देख रेख में Manager-MF/Manager-CF/FI - Consultant को शामिल नहीं किया जाएगा। संबंधित Help Desk/Cell की देख रेख का कार्यभार किसी अन्य Manager/IDM/Matured AC/CC को दिया जा सकता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च महीने में बैंकों के साथ वित्त पोषण हेतु समन्वय स्थापित करने में उनकी भूमिका अहम होगी। हलांकि यह स्पष्ट करना उचित होगा कि जिला स्तर पर अवस्थित "Disbursement Help Desk/Cell" को प्राप्त सूचना के आधार पर

समस्त बैंकों, जिला परियोजना प्रबंधक एवं राज्य स्तरीय इकाई से समन्वय स्थापित करना वित्तीय समावेशन टीम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

छ- संबंधित व्यक्ति (जिला/प्रखंड स्तर पर) जिन्हें "Disbursement Help Desk/Cell" की जिम्मेदारी दी जाएगी उनका नाम कार्यालय आदेश के रूप में बैठक के दिन ही निर्धारित कर दिया जाएगा। **संबंधित कार्यालय आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं PC-FI को भेजी जाएगी।** यह उचित होगा कि संबंधित "Disbursement Help Desk/Cell" का कार्य भार कम से कम 2 व्यक्तियों को जिला स्तर पर एवं 1 व्यक्ति को प्रखंड स्तर पर दिया जाए। इस संदर्भ में निर्णय जिला स्तर की बैठक में ही हो जाए एवं नामित व्यक्तियों को जिम्मेदारी का निदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। हलांकि प्रखंडों के कुल संख्या के नजरिये से छोटे जिले अपनी जरूरत के हिसाब से जिला स्तर पर 1 व्यक्ति (एक व्यक्ति) को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं।

ज- **यह सभी जिलों के संज्ञान में देना अति महत्वपूर्ण है कि विभिन्न बैंकों के द्वारा भौतिक ऋण वितरण को लेकर आपत्ति दर्ज की गयी है।** अत: इसे अति महत्वपूर्ण मानते हुए कार्य रणनीति सुनिश्चित करें। ऋण वितरण नहीं सुनिश्चित होने की दशा में भविष्य में समूहों को बैंकों के द्वारा वित्तीय संपोषण में व्यावधान उत्पन्न हो सकता है। अत: इस पहलु के महत्व को समझते हुए पूर्ण समन्वय के साथ कार्य का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

झ- यह जरूरी होगा कि समूहों को सुबह 10 या 10:30 बजे तक बैंक परिसर में भेजने की रणनीति पर कार्य हो तथा किसी भी परिस्थिति में बैंक से राशि लिये हुए बिना वापस न जाने की सलाह दी जाए। **व्यावहारिक रूप में इसे प्रभावी बनाने के लिए जरूरी होगा कि कोई भी समूह बिना राशि लिए हुए वापस न जाए।** अगर किसी बैंक की शाखा में किसी तरह का व्यावधान होने की संभवाना है तो उसकी सूचना प्रखंड "Disbursement Help Desk/Cell" एवं जिला "Disbursement Help Desk/Cell" पर तत्काल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी प्रखंडों में हरेक बैंक की शाखा के लिए एक CC/AC को नामित किया जा सकता है जो प्रत्येक दिन कम से कम 5 समूहों को संबंधित शाखा में भेजने का कार्य सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु जीविका मित्र (Community Mobilizer) एवं बैंक मित्र की सहायता भी ली जा सकती है। संबंधित रणनीति की निगरानी प्रखंड परियोजना

प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा की जाएगी। **यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक दिन कम से कम 5 समूहों को संबंधित बैंक की शाखा में भेजने की जिम्मेदारी प्रखंड स्तर पर सभी परियोजना कर्मियों की होगी।**

ञ- प्रत्येक प्रखंड परियोजना प्रबंधक को 5,000 रूपये तक की राशि इस मद में मार्च 2017 के महीने में खर्च करने की अनुमति दी जाती है ताकि पूरी प्रक्रिया में आने वाले किसी व्यावधान को अपने स्तर से समाप्त कर सकें।

ट- प्रखंड स्तर पर दैनिक रूप से निम्नलिखित सूचनाओं को संकलित करने की जरूरत है:

क्र0सं0	दिनांक	समूह का नाम	गॉव का नाम	बैंक शाखा का नाम	वितरित ऋण की राशि (रू0 लाख में)	अभियुक्ति

"Disbursement Help Desk/Cell" का कार्यभार सम्भालने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि समस्त सूचनाओं का संधारण दैनिक रूप से एक रजिस्टर में दर्ज कर लें। शाखाओं से संबंधित कर्मियों की जिम्मेदारी होगी कि उपर्युक्त सूचना स्वयं रखें एवं इसे दैनिक रूप से "Disbursement Help Desk/Cell" से साझा करें।

ठ- जिला स्तर पर दैनिक रूप से निम्नलिखित सूचनाओं को संकलित करने की जरूरत है:

क्र0सं0	दिनांक	प्रखंड का नाम	कुल समूहों की संख्या जिन्हें ऋण वितरित किया गया है	बैंक शाखाओं की संख्या	कुल वितरित ऋण की राशि (रू0 लाख में)	अभियुक्ति

ड- **सभी जिला परियोजना प्रबंधक बैंक की शाखाओं में होने वाली परेशानी को पत्र के माध्यम से विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को सूचित करेंगें।** उस पत्र की प्रति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं PC-FI को भी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

ढ- राज्य स्तर पर वर्तमान में निम्नलिखित परियोजना कर्मियों को इस Disbursement Help Desk/Cell संभालने की जिम्मेदारी दी गयी है वे निम्नलिखित हैं-

क्र0सं0	नाम	पद	ब्लॉक/जिला	मोबाईल सं	ई-मेल
1	श्री राजीव कुमार	IDM	मुसहरी, मुजफ्फरपुर	9771478906	adirajivranjan@gmail.com
2	श्री नन्द लाल	AC	सौरबाजार, सहरसा	8969381561	nandlal_06@yahoo.com
3	श्री संत कुमार	IDM	डोभी, गया	7781009853	to1_jamui@brlp.in
4	श्री अरविंद कुमार	IDM	बोचहाँ, मुजफ्फरपुर	7369005207	arvind.aushman@gmail.com

जरूरत के हिसाब से उपर्युक्त परियोजना कर्मियों में बदलाव भी किया जा सकता है एवं इसकी जानकारी तत्काल रूप से सभी जिलों को प्रेषित कर दी जाएगी। **संबंधित परियोजना कर्मियों द्वारा जिन जिलों के साथ समन्वय स्थापित होगा उसे संलग्नक के रूप में प्रेषित किया गया है।**

ण- **विभिन्न जिला समन्वय ईकाइयों एवं प्रखंड ईकाइयों के द्वारा उपर्युक्त रणनीति के साथ अन्य क्रियान्वयन की रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि ऋण वितरण के संदर्भ में व्यापक सफलता पाई जा सके।**

त- सभी जिला परियोजना प्रबंधकों के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक दिन की रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्रेषित करें एवं उसकी प्रति PC-FI, SPMU के सभी PM, SPM, Finance Section एवं District Mentors एवं राज्य स्तर पर अविस्थत "Disbursement Help Desk/Cell" के उपर्युक्त नामित परियोजना कर्मियों को भी भेजना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	जिला का नाम	दिनांक	कुल प्रखंडों की संख्या	कुल बैंक शाखाओं की संख्या, जहाँ से ऋण वितरण किया जा रहा है	कुल वितरित ऋण की राशि (रू0 लाख में)	अभियुक्ति

थ- राज्य इकाई में अवस्थित सभी District Mentors की ये जिम्मेदारी होगी कि वे संबंधित जिलों का मार्गदर्शन एवं क्रियान्वयन की रणनीति का अवलोकन निरंतर करें ताकि ऋण वितरण की दिशा में गुणत्मक सुधार लाया जा सके। **उसी तरह Block Mentors की भी जिम्मेदारी जिला स्तर पर तय करना महत्वपूर्ण होगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबंधक की होगी।**

द- सभी जिला इकाई तथा प्रखंड इकाई संबंधित क्रियान्वयन की रणनीति पर 15 अप्रैल 2017 तक कार्य करेंगें एवं जरूरत होने की परिस्थिति में इसे और भी विस्तारित किया जाएगा।

ध- इस कार्यालय आदेश की प्रति सभी परियोजना कर्मियों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त वर्णित रणनीति के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबंधक की होगी। यह निदेशित है कि इस कार्यालय आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

बालामुरूगन डी0

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

प्रतिलिपि:

1. OSD/Director/ PS /CFO/AO
2. PCs/SPMs/PMs/SFMs/AFMs
3. All DPMs/ In charge DPMs /All Thematic Managers/Yps/All staffs of DPCUs
4. All BPMs/ In charge BPMs /All staffs of BPIUs
5. IT Section/Account Section
6. Concerned file.

संग्लनक-1

राज्य स्तर पर Disbursement Help Desk/Cell को जिम्मेदारी निर्वहण करने वाले परियोजना कर्मियों का नाम एवं अन्य विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र0सं0	नाम	पद	ब्लॉक/जिला	मोबाईल सं	ई-मेल	संबंधित जिलों के नाम जिसकी जिम्मेदारी निर्वहण करनी होगी
1	श्री राजीव कुमार	IDM	मुसहरी, मुजफ्फरपुर	9771478906	adirajivranjan@gmail.com	मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर
2	श्री नन्द लाल	AC	सौरबाजार, सहरसा	8969381561	nandlal_06@yahoo.com	दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पुर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार
3	श्री संत कुमार	IDM	डोभी, गया	7781009853	to1_jamui@brlp.in	पटना,भोजपुर,बक्सर, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, नवादा, कैमूर, औरंगाबाद, गया एवं रोहतास
4	श्री अरविंद कुमार	IDM	बोचहाँ, मुजफ्फरपुर	7369005207	arvind.aushman@gmail.com	बेगूसराय,मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय , खगडिया, भागलपुर, बांका एवं समस्तीपुर

उपर्युक्त वर्णित व्यक्तियों को सभी प्रखंडों के प्रखंड परियोजना प्रबंधक का नाम, मोबाईल संख्या एवं ई-मेल आई0डी0 उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी प्रबंधक- माइक्रोफायनान्स/ प्रभारी प्रबंधक- माइक्रोफायनान्स/ प्रबंधक- सामुदायिक वित्त/ प्रभारी प्रबंधक- सामुदायिक वित्त की होगी। आदेश प्राप्ति के 2 दिनों के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाना अति आवश्यक होगा।